112

संख्याः–1758 /VI(1)/2012–02(01)/2012

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 18 दिसम्बर, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में चारधाम यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत केदारनाथ धाम में 10 Prefabricated Bio-degradable शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–211/2–6–829/2012–13, दिनांक 29 सितम्बर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चारधाम यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत केदारनाथ धाम में 10 Prefabricated Bio-degradable शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 70.06 लाख के प्रस्तुत आगणन पर टी०ए०सी० वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गयी ₹ 70.06 लाख (अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि ₹ 100.00 लाख मे से ₹ 70.06 (₹ सत्तर लाख छः हजार मात्र) को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(I) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(II) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित प्राविधानों व समय–समय पर निर्गत नियम/शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना हेतु सम्पूर्ण धनराशि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत है। अतएव स्वीकृत धनराशि को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार व्यय किया जाय।

(III) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(IV) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2013 तक अवश्य कर लिया जाय।

(VI) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(VII) एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

(VIII) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

..2

(IX) कार्यदायी संस्था के निधारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–52–चारधाम यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/विकास––24–वृहद् निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–665/XXVII(2)/2012, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S1212260020 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः– 1750 /VI(1)/2012–02(01)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।